कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक 2737/एस.सी./4/ राज/2018 भोपाल, दिनॉक 28/08/2018

// विज्ञप्ति//

म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–2017/1/55 दिनांक. 12/01/2018 मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अर्न्तगत स्वाशासी संस्था गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन निम्नलिखित विभागों में वैज्ञानिको के रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। रिक्त पदो हेतु पात्रता धारी योग्य उम्मीदवारो से आवेदन आमत्रित किये जाते है।

उपरोक्त विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है। साक्षात्कार की तिथि एवं योग्य अम्मीदवारो की सूची गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की website पर उपलब्ध कराई जावेगी इस हेतु website का अवलोकन करे।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10/09/2018 शायं 5:00 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

वैज्ञानिक

क्र	विषय	पदोन्नति/सीधी भर्ती हेतु				वेतनमान	कुल पद
		UR	ST	SC	OBC		
01	बायरोलॉजी लेव वैज्ञानिक ए	01	-	-	-	15600-39100+7600	01
02	बायरोलॉजी लेव वैज्ञानिक सी	02	01			15600-39100+5400	03
	कुल पद	03	01	-	-		04

28.08.18

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिहिन्त पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। पदों की संख्या अधिक /कम की जा सकती है।

टीपः– विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की वेब साइट www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।

स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे सीधीं भर्ती द्वारा वैज्ञानिक पदों की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण

1. वेतनमान	–	नियमित नियुक्ति हेतु
बायरोलॉजी लेब वैज्ञानिक ए	–	15600-39100+7600
बायरोलॉजी लेब वैज्ञानिक सी	–	15600-39100+5400

टीप– राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. आयु सीमा		न्यूनतम
बायरोलॉजी लेब वैज्ञानिक ए	–	25 वर्ष
बायरोलॉजी लेब वैज्ञानिक सी	–	23 वर्ष

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि 01 तारिख 01/09/2018 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी , जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

4. **अर्हतायेः–**

वैज्ञानिक ए– (a)एम.डी./डी.एन.बी. माइक्रोबायोलॉजी योग्यता (एम.सी.आई. मान्यता प्राप्त संस्था से) के बाद 05 वर्ष का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आर.एन.डी./शैक्षणिक अनुभव

अथवा

(b) डिप्लोमा इन मेडिकल वॉयरोलाजी (एम. सी.आई. मान्यता प्राप्त संस्था से)/डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी (एम. सी.आई. मान्यता प्राप्त संस्था से) / डिप्लोमा इन पैथोलॉजी एण्ड बैंक्टीरियोलाजी (एम.सी. आई. मान्यता प्राप्त संस्था से)के बाद 06 वर्ष का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में शोध एवं विकास/ शैक्षणिक अनुभव।

अथवा

(c) एम.बी.बी.एस. उत्त्तीर्ण (एम. सी.आई. मान्यता प्राप्त संस्था से) के बाद 08 वर्ष का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में शोध एवं विकास/ शैक्षणिक अनुभव।

अथवा

(d) एम.एस.सी. उत्त्तीर्ण (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/बायरोलॉजी/ माईक्रबायोलॉजी /बायोटेक्नोलॉजी)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्त्तीर्ण के बाद 08 वर्ष का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में शोध एवं विकास/ शैक्षणिक अनुभव।

अथवा

(e) एम.एस.सी. (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/बायरोलॉजी/ माईक्रबायोलॉजी /बायोटेक्नोलॉजी)द्वितीय श्रेणी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्त्तीर्ण + संबंधित विषय में पी.एच.डी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्त्तीर्ण होने के बाद 08 वर्ष का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में शोध एवं विकास/ शैक्षणिक अनुभव।

वैज्ञानिक सी– (a) एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण (एम. सी.आई. मान्यता प्राप्त संस्था से) के पश्चात् 02 वर्ष का मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में शोध एवं विकास/ शैक्षणिक अनुभव।

अथवा

(b) एम.एस.सी. उत्तीर्ण (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/बायरोलॉजी/ माईक्रबायोलॉजी /बायोटेक्नोलॉजी) प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के पश्चात् 02 वर्ष का मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में शोध एवं विकास/ शैक्षणिक अनुभव।

अथवा

(c) एम.एस.सी.(मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/बायरोलॉजी/ माईक्रबायोलॉजी /बायोटेक्नोलॉजी)द्वितीय श्रेणी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण + संबंधित विषय में पी.एच.डी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के पश्चात् 02 वर्ष का मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में शोध एवं विकास/शैक्षणिक अनुभव।

5. निरर्हतायें–

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा– किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह/अनुशंसा – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/ पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/ पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें।

5.6 कूट रचित/ फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/ अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामास्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करें।

6. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लेना होगा।

7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

8. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता हे और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शंत के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

10. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

11. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :–** स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल आवेदन पत्र दिनांक 10/09/2018 के सांय 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहियें। आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

महत्वपूर्ण टीपः– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगीं। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया हैं। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगीं।

22/08/18

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।